न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 66 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नोजी बाई पत्नी स्वर्गीय रामलाल जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दिलीप कुमार मुन्दड़ा पिता स्वर्गीय रामचन्द्र जी, निवासी एल.रोड़, भुपालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती निशा पत्नी श्री सन्दीप मुन्दडा, निवासी 8, माहेश्वरियों की सेहरी, धानमण्डी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कविता पत्नी श्री विजय मुन्दडा (माहेश्वरी), निवासी धानमण्डी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भैरूलाल पिता स्वर्गीय रामलाल जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पुष्पा बाई पिता रामलाल जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वरजू बाई पत्नी दल्ला जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक)
7. लक्ष्मीलाल पिता माना जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. गोपाललाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. देवीलाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. नारायण पिता माना जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक)
11. किशनलाल पिता छगा जी पटेल, निवासी न्यू भुपालपुरा, खांरा कुंआ, आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती मांगी बाई पत्नी किशनलाल जी पटेल, निवासी न्यू भुपालपुरा, खांरा कुंआ, आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. दौला पिता फूला जी डांगी, निवासी ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 2018 दिनांक 17.02.2022

———/———

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अजय सिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 3
3. श्री सुशील कोठारी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4
4. श्री ओंकारलाल डांगी अभि. रे. सं. 7 से 9, 11 से 13
5. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 14

———:::———

निर्णय दिनांक 22—11—2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम आयड़ में स्थित है। खतौनी संख्या 528 के आराजी नंबर 1500 रकबा 0.2400 हैक्टर, खतौनी संख्या 529 के आराजी नंबर 1497, 1498, 1499, 1501, 1503, 1504, 1506 कुल किता 7 रकबा 1.3150 हैक्टर एवं खतौनी संख्या 530 के आराजी नंबर 1502 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि ग्राम आयड़ में स्थित होकर वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2070 से 2073 में दर्ज है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 अपने—अपने हक हिस्से अनुसार आपसी समझ अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा जमाबन्दी अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का कानूनन बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिससे प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार का फेर बदल नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अतः वाद वर्णित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 5 से 11 ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09—05—2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 भैरूलाल द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 23/2019 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25—09—2019 को खारिज कर दी, किन्तु इसी बीच प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती नोजी बाई ने दिनांक 22—07—2019 को अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] किया कि प्रतिवादी संख्या 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

को सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उसे आप न्यायालय के प्रकरण की जानकारी नहीं थी। दिनांक 28–06–2019 को प्रार्थीया बीमार होने से उसकी पुत्री पुष्पा उससे मिलने आयी तो वहां सम्मन लेकर पत्र वाहक आया, तब पता चला कि राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील लम्बित है। इस पर अपने अधिवक्ता ने सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जानबूझकर कोई चूक नहीं हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को दो पक्षीय किया जावे तथा प्रारम्भिक डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 नोजी बाई को सम्मन नहीं मिला, सम्मन उसके पुत्र ने प्राप्त किया जो छुपा दिया। इसलिए मेरी क्लाईन्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पायी एवं उसके विरूद्ध एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जो खारिज की जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि यदि प्रतिवादी संख्या 4 को कोई एतराज था तो राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में क्यों नहीं उठायी। अब जब अपील कोर्ट ने अपीलान्ट की अपील खारिज हो चुकी है तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री का स्तर ही समाप्त हो चुका है तथा प्रकरण फाईनल डिक्री में विचाराधीन होकर बहस में है, जो इस प्रकार की आपत्ति लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नि6यम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 17–02–2022 से प्रतिवादी संख्या 4 नोजी बाई का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–08–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 एवं 14 मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के निर्णय की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अपील आप न्यायालय [illegible] के बजाय राजस्व मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

अजमेर में सहवन से निगरानी संख्या 2708/2022 प्रस्तुत कर दी गयी, जो चलने योग्य नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने की छूठ के साथ विड्रो कर ली गयी, जिसका दिनांक 03–08–2022 को निर्णय किया गया, जिसकी नकल प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने मनगढन्त कथन किया है। अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 2708/2022 निर्णय दिनांक 03–08–2022 के विरूद्ध अपील 22–08–2022 को प्रस्तुत की है, जबकि उक्त निर्णय अनुसार 15 दिवस में अपील प्रस्तुत करनी थी, जो नहीं की गयी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–02–2022 की केवियट आप न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसकी सूचना अपीलान्ट को जरिये डाक भेजने पर अपीलान्ट द्वारा मेला फाईट इन्टेसन व दुरभि संधि से राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर दी, जबकि अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 13 की ओर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से किये गये कथनों को दोहराते हुए अपील मयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट नोजी बाई द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–02–2022 के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की गयी, किन्तु सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 03–08–2022 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–08–2022 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील 15 दिवस अर्थात दिनांक 18–08–2022 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी, किन्तु हम यह भी पाते हैं कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त नकल ही अ[illegible] को दिनांक 17–08–2022 को उपलब्ध करायी गयी है एवं दिनांक 19–0[illegible]2022 से 21–08–2022 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अवकाश था। अतः उपरोक्त दृष्टिकोण के मद्दे नजर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री सुशील कोठारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 व 11 से 13 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलान्ट के प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 को पढ़ा गया है, न ही पत्रावली में संलग्न तलबी सम्मन की जांच की गयी है। प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होते ही प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि प्रकरण में प्रभावी निस्तारण के लिए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतई स्वीकार नहीं किया गया है। अपील अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–02–2022 निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **RRT 2018-19 (Supp.) Page 118** प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। स्वयं अपीलान्ट/प्रार्थीया का कथन है कि सम्मन उसके पुत्र द्वारा भैरूलाल द्वारा उसके अंकित पते पर प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पुत्र पर होने वाली तामिल को विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही नहीं की गयी है, सिर्फ उसके जवाब का अवसर बन्द किया गया है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी माना है कि प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उपस्थित थे, किन्तु उनके द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी है। हम यह पाते हैं कि जब स्वयं अपीलान्ट के पते पर उसके पुत्र द्वारा सम्मन प्राप्त किया गया है, तो यह उस पर विधिवत तामिल मानी जायेगी। हम यह भी पाते हैं कि स्वयं अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–07–2019 को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा. दी. में यह अंकित किया है कि दिनांक 28–06–2019 को प्रार्थीया बीमार होने से उसकी पुत्री पुष्पा उससे मिलने आयी तो वहां सम्मन लेकर पत्र वाहक आया, तब पता चला कि राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील लम्बित है। जब उसे दिनांक 23–07–2019 को इस न्यायालय में चल रहे प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, तो उनके द्वारा इस न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण संख्या 23/2019 जिसमें दिनांक 25–09–2019 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, इस बाबत् कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–02–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested